महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच

राकेश श्रीवास्तव

कानूनी ढांचे को (महिलाओं और बच्चों को अक्सर तस्करी के अदृश्य अपराध से बचाने हेतु) मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक सभी छूटी हुई चीज़ों और तस्करी के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थानों की स्थापना करके पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाकर तस्करी से निपटने का प्रस्ताव करता है। विधेयक वर्तमान में विचाराधीन है

कई वर्षों से, महिलाओं और बच्चों के साथ समाज द्वारा भेदभाव किया गया है। हमारी आबादी का दो तिहाई हिस्सा होने के बावजूद, उनके महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों की अक्सर अनदेखी की गई है, और उन्हें विकास प्रतिमान से परे रखा गया है। विकास का यह स्वरूप अस्थिर है। कोई देश तब तक वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक कि वह महिलाओं और बच्चों को अधिकार, और उन्हें समाज में एक समान दर्जा प्रदान न करे। सरकार इस आदर्श को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी का दावा किया है।

सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। ये दोनों पहलू - सशक्तीकरण और संरक्षण - समान रूप से महत्वपूर्ण और आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। एक को दूसरे के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। इनका उद्देश्य समान अवसर पैदा करना और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। ये पहल गतिशील और बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी हैं, और प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग के साथ विकसित की जाती हैं।

बदलती मानसिकता

एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, शुरुआती चरण में ही समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करना चाहिए, और वह जड़ है- मानसिकता। इसके लिए, सरकार ने देश के सभी जिलों में *बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ* कार्यक्रम का विस्तार किया है। जागरूकता फैलाने, गर्भपात की निगरानी और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सफलता देखी गई है, प्रारंभिक हस्तक्षेप के बाद लगभग आधे जिलों में जन्म पर स्त्री-पुरुष अनुपात में सुधार देखा गया है।

इसी प्रकार, जैंडर चैंपियंस की पहल शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से लागू की जा रही है ताकि विद्यार्थियों में जैंडर की समझ बनाने में मदद मिल सके और उन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोका जा सके। 150 विश्वविद्यालयों और 230 महाविद्यालयों ने जैंडर चैंपियंस के कार्यान्वयन की शुरुआत की है।

सूचना तंत्र की मज़बूती और उत्तरजीवियों की सहायता

चूंकि कई महिलाएं और बच्चे सीधे पुलिस से संपर्क करने में संकोच कर सकते हैं, इसलिए निर्भया फंड के तहत 182 वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये ओएससी हिंसा से जूझने वाली महिलाओं के लिए एक सहायक खिड़की प्रदान करते हैं जैसे पुलिस, चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता, साथ ही कुछ दिनों तक रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान भी। इन केंद्रों ने आज तक 1.3 लाख से अधिक महिलाओं के मामलों का निपटारा किया है।

लेखक, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव हैं। उनके पास पोषण, महिला कल्याण और बड़े सरकारी अभियानों के क्षेत्रों में परियोजनाओं पर काम करने का गहन अनुभव है। ईमेल: secy.wcd@nic.in

इसके अलावा, महिलाएं 181 महिला हेल्पलाइन पर हिंसा की रिपोर्ट कर सकती हैं, जो एक सार्वभौमिक टोल-फ्री नंबर है,और जिससे तनावग्रस्त महिलाओं को आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सेवाएं मुहैया करती है। महिलाएं आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट करने, परामर्श लेने या कानूनी सहित पुलिस, मनोवैज्ञानिक और अन्य विकल्पों के बारे में जानने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। अब तक, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन स्थापित की जा चुकी हैं और 16.5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की जा चुकी है। इसके अलावा, 1098 चाइल्डलाइन संकट की स्थितियों में बच्चों के लिए राष्ट्रव्यापी नंबर है और पिछले वर्ष इसने 1.8 करोड़ कॉलों का प्रबंधन किया है।

पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यह विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को पुलिस से संपर्क करने और अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस संबंध में एक सलाह जारी की गई है, और परिणाम 22 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में देखे जा रहे हैं। महिलाओं से जुड़े संवेदनशील मामलों में समग्र पुलिस प्रक्रिया में सुधार लाने और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ काम कर रहा है। इस कदम से न केवल रिक्तियों को भरने और पुलिस के मामले में महिलाओं के महत्व को पहचानने की संभावना है, बल्कि पुलिस बल को महिलाओं और बच्चों के लिए मित्रवत बनाने की भी संभावना है।

बच्चे अक्सर मार-पीट और दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं। बच्चों के लिए इस दर्दनाक और संवेदनशील अनुभव की रिपोर्टिंग आसान बनाने के लिए, एक ऑनलाइन पोर्टल 'पोस्को ई-बॉक्स' स्थापित किया गया है, जहां कोई भी बच्चा या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति न्यूनतम विवरण के साथ शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसे ही शिकायत दर्ज की जाती है, एक प्रशिक्षित परामर्शदाता तुरंत बच्चे से संपर्क करता है, सहायता प्रदान करता है और जहां भी वांछित हो, बच्चे की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज करता है।

एक मजबूत कानूनी ढांचे का निर्माण

कानूनी ढांचे को (महिलाओं और बच्चों को अक्सर तस्करी के अदृश्य अपराध से बचाने हेतु) मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने हाल ही में ,मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया है। यह विधेयक सभी छूटी हुई चीज़ों और तस्करी के सभी पहलुओं को शामिल करता है। यह जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थानों की स्थापना करके पीड़ितों के लिए एक मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाकर तस्करी से निपटने का प्रस्ताव करता है। बिल वर्तमान में विचाराधीन है।

बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूपरेखा को भी मजबूत किया जा रहा है और सख्ती से लागू किया जा रहा है। बाल विवाह अधिनियम, 2006 का निषेध उन लोगों को दंडित करता है जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, पालन करते हैं और उन्हें उकसाते हैं। मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ और सीधे जिला कलेक्टरों के साथ उचित कार्यान्वयन का प्रयास कर रहा है। इस बारे में कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है ताकि बाल विवाह को कानून में अवैध या कानून में अमान्य बनाया जा सके, जो ऐसी कुरीति के अभ्यास को रोकने के लिए एक प्रभावी तरीका होगा।

मंत्रालय कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कार्यान्वयन पर ज्यादा बारीकी से निगरानी रख रहा है। अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 112 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और टीवी, रेडियो और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी शुरू किया गया है।

मंत्रालय कार्यस्थल (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कार्यान्वयन पर और बारीकी से निगरानी रख रहा है। अधिनियम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए 112 संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है और टीवी, रेडियो और ऑनलाइन बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान भी शुरू किया गया है। देश में सभी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के लिए उपयोग में आसान ऑनलाइन पोर्टल 'शी-बॉक्स' शुरू किया गया है, फिर चाहे उनकी कार्य स्थिति या संगठन जो भी हो। कार्यस्थल पर एक सुरक्षित वातावरण अधिक महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रालय घर के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। घरेलू हिंसा अधिनियम (पीडब्ल्यूडीवीए), 2005 से महिलाओं के संरक्षण के कार्यान्वयन को देश भर में बढ़ावा और महिलाओं को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए समर्थन प्रदान किया जा रहा है। दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर ध्यान देने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के कार्यान्वयन को जोरदार तरीके से अपनाया जा रहा है। अधिनियम दहेज को परिभाषित करता है और दहेज देने, लेने या दहेज़ लेन-देन को उकसानेवालों को दंडित करता है।

इन कानूनों पर मीडिया अभियान तैयार किया गया है जिसे टी.वी., रेडियो और ऑनलाइन माध्यमों द्वारा चलाया जा रहा है। बेहतर सुरक्षा के लिए नई टैक्सी नीति दिशानिर्देशों को महिलाओं के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों जैसे- सभी टैक्सियों

में अनिवार्य जीपीएस पेनिक उपकरणों, बाल-लॉकिंग सिस्टम को अक्षम करना, वाहन के फोटो और पंजीकरण संख्या के साथ चालक की पहचान का प्रदर्शन, महिला यात्रियों की इच्छानुसार सीट साझा करना आदि को लाया गया है। यह महिलाओं और बच्चों द्वारा सार्वजनिक टैक्सियों के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है।

नवाचारी परियोजनाओं का निधिकरण

निर्भय निधि, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसका कम उपयोग किया गया है ने वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 6223.79 करोड़ रुपए तक की नवाचारी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। संकट में महिलाओं को आपातकालीन प्रक्रिया प्रदान करने के लिए देश के सभी मोबाइल फोन पर जल्द ही पेनिक बटन की एक सुविधा उपलब्ध होगी। पेनिक बटन निकटतम पीसीआर और चुने हुए परिवार/दोस्तों को सैटेलाइट आधारित जीपीएस के माध्यम से स्थान की पहचान कर सिग्नल भेजने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में उपयोगकर्ता परीक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसे देश भर में तेजी से फैलाया जाएगा।

निर्भया निधि की ओर से देश के 8 प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं जैसे सड़क के प्रकाश, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, बेहतर पुलिसिंग इत्यादि जैसी व्यापक योजनाओं पर वित्त-पोषित किया जा रहा है। ये शहर बाकियों के अनुसरण करने के लिए मॉडल के रूप में काम करेंगे। निर्भया निधि के तहत, बलात्कार और यौन हमले के मामलों में तेजी से और बेहतर अभियोजन पक्ष की मदद के लिए प्रयोगशालाओं की फोरेंसिक क्षमताओं में वृद्धि भी की जा रही है।

सुरक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई है, डिजिटल अंतरिक्ष तेजी से बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा रहा है। सरकार डिजिटल अंतरिक्ष में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संरचनाओं में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी रही है। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए हॉटलाइन के रूप में काम करने के लिए एक केंद्रीय रिपोर्टिंग तंत्र बनाया जा रहा है और बाल अश्लीलता, बलात्कार और गैंगरेप इमेजरी इत्यादि को हटाने के लिए आसान प्रक्रियाएं बनाई जा रही हैं। साइबर अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए अधिकारियों और जनता के बीच अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बच्चों की सुरक्षा में सुधार के लिए सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग करते हुए, मंत्रालय ने ऑनलाइन नागरिक आधारित पोर्टल 'खोया पाया' स्थापित किया है। इस पर, लापता या देखे गये बच्चों को पहचानने और बच्चों को अपने परिवारों से मिलाने के लिए जानकारी पोस्ट की जाती है। 2015 से अब तक इस पोर्टल पर लापता या देखे गये बच्चों के 10,000 से अधिक मामले प्रकाशित किये जा चुके हैं। बच्चों के अनुकूल इन योजनाओं के बारे में बच्चों में अधिक से अधिक जागरूकता के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पुस्तकों के मुख्य कवर के अंदर भी जानकारी प्रकाशित की गई है।

हिंसा पीड़ितों का पुनर्वास

यौन पीड़ितों का पुनर्वास भी व्यापक सरकारी हस्तक्षेप का एक आवश्यक पहलू है। इसके लिए, निर्भया निधि के तहत केंद्रीय पीड़ित मुआवजा योजना राज्य सरकारों को हिंसा पीड़ित महिलाओं की क्षतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एसिड हमला पीड़ित के जीवन को पहुंचने वाली दीर्घावधि की क्षति और निरंतर चिकित्सा सुविधा को ध्यान में रखते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि असिड हमला पीड़ित को पहुंची प्रेरित क्षति और कुरूपता को निर्दिष्ट विकलांगता की सूची में शामिल किया जाये। विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 के हाल ही में अधिनियमित अधिकारों में एसिड हमले को एक प्रकार की विकलांगता के रूप में शामिल किया गया है, जो अब एसिड हमले पीड़ितों को अक्षमता लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

एक नवाचारी कदम के तहत, मंत्रालय ने देश भर के 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों, जिन्हें बाल तस्करी का आम स्रोत और गंतव्य केंद्र माना जाता है, में बाल सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। ये सहायता डेस्क मुश्किल परिस्थितियों में बच्चों की पहचान, बचाव, पुनर्मिलन और पुनर्वास में सहायता करते हैं। अब तक इस सेवा के माध्यम से 34,000 से अधिक बच्चों की सहायता की जा चुकी है।

जन-जन तक पहुंचना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार का सुरक्षात्मक तंत्र ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचें, महिला शक्ति केंद्र योजना हाल ही में शुरू की गई है। यह 115 सबसे पिछड़े जिलों में 3 लाख छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को उनके दरवाजे पर समर्थन सेवाएं प्रदान करता है। अन्य सरकारी लाभों के अलावा, छात्र हिंसा पीड़ितों को उनके लिए सरकार के समर्थन के बारे में भी शिक्षित करेंगे और उन्हें ऐसे संस्थानों से जुड़ने में मदद करेंगे।

अगर भारत में महिलाएं सकुशल और सुरक्षित महसूस करेंगी, केवल तब ही वे सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने और आर्थिक विकास में योगदान करने में सक्षम होंगी। इसी प्रकार, अगर बच्चों को हिंसा मुक्त वातावरण का आश्वासन नहीं दिया जाता है तो बच्चे सकारात्मक रूप से बढ़ने में सक्षम नहीं होंगे। एक सरकार के रूप में, हम भारत में हर महिला और बच्चे को बिना डर के अपने घर से बाहर निकलने में सक्षम बनाना चाहते हैं और हम यह सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि यह लक्ष्य हासिल हो। ❑